



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112025-267955
CG-DL-E-25112025-267955

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2025/अग्राहायण 4, 1947

No. 779]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2025/AGRAHAYANA 4, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 865(अ).— पेटेंट नियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार, कतिपय नियमों के मसौदे को, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की अधिसूचना के माध्यम से सां.का.नि. 475 (अ) दिनांक 16 जुलाई, 2025 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां, आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां आम लोगों को 16 जुलाई, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में आम लोगों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-** (1) इन नियमों को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 (इसके बाद इन्हें मूल नियम कहा गया है) में अध्याय XIVक को निम्नलिखित अध्याय से प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

अध्याय XIV-क

शास्ति और अपील का न्यायनिर्णयन

‘107क परिभाषाएं – (1) इस अध्याय में, जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो-

(क) "न्यायनिर्णयन अधिकारी" का आशय अधिनियम की धारा 124क के तहत अधिकृत अधिकारी से है;

(ख) "अपीलकर्ता" का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है और अधिनियम की धारा 124ख की उप-धारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" का आशय अधिनियम की धारा 124ख की उपधारा(1) के तहत अधिकृत अधिकारी से है।

107ख शिकायत — कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 120, 122 और 123 के तहत किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रपत्र-32 में शिकायत दर्ज करा सकता है।

107ग जांच करना – (1) अधिनियम की धारा 124क के तहत इस न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने उक्त धारा में यथाविनिर्दिष्ट कोई उल्लंघन किया है, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो कि तामील की तारीख से सात दिन की अवधि से कम न हो, कारण बताना अपेक्षित होगा कि उसके विरुद्ध जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) के तहत जारी प्रत्येक नोटिस में किए गए कथित उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए या उसके द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत अपने वकील के माध्यम से नोटिस में यथानिर्धारित तारीख को उपस्थिति होने हेतु एक नोटिस जारी करेगा।

(4) नियत तारीख को, न्यायनिर्णयन अधिकारी, उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसके द्वारा किए गए उल्लंघन और उस अधिनियम के उपबंधों, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएगा।

(5) तत्पश्चात न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट उस व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा, जिन्हें वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को किसी भावी तारीख तक स्थगित किया जा सकता है।

(6) इस नियम के अधीन जांच करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी, आवश्यक समझे जाने पर साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो उसकी राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या संगत हो सकता है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है।

(7) यदि कोई व्यक्ति इस नियम के तहत यथानिर्दिष्ट रूप में न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में, ऐसा

करने के कारणों को दर्ज करने के बाद, जांच को आगे बढ़ा सकता है।

(8) यदि, न्यायनिर्णयन अधिकारी अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह, लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के तहत, ऐसी शास्ति लगा सकता है, जो वह उचित समझे।

(9) इस नियम के तहत किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उन प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है और शास्ति लगाने के कारणों को शामिल किया जाएगा।

(10) इस नियम के तहत किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां उस व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।

(11) न्यायनिर्णयन अधिकारी, उप-नियम (3) के अधीन नोटिस जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा और इस नियम के अधीन आदेश पारित करेगा।

(12) न्यायनिर्णयन अधिकारी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

107घ अपील- (1) कोई भी व्यक्ति, जो नियम 107ग के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट है, वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रपत्र-33 में अपील कर सकता है।

वशर्ते कि, अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर कार्यवाही कर सकता है यदि, वह संतुष्ट है कि व्यक्ति के पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के पर्याप्त कारण मौजूद थे।

(2) अपील प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उत्तरदाता से यह अपेक्षा होगी कि वह उस अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करे जैसा कि नोटिस में निर्धारित किया गया हो।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, एक संगत आदेश पारित करेगा, जिसमें स्थगन के आदेश भी शामिल हैं, और सामान्य रूप से अपील की प्राप्ति की तारीख से छह माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

107ङ दोनों पक्षों को पत्राचार की तामील (सर्विस) - (1) इस अध्याय के तहत सभी पत्राचार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएंगे।

107च- समयावधि बढ़ाना - न्यायनिर्णयन अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी, इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी भी समयावधि को लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से लागत सहित या उसके बिना, ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

107छ आदेश और शास्ति - (1) इस अध्याय के तहत प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी, उस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा तथा उसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(2) इस अध्याय के तहत शास्ति के जरिए वसूल की गई समस्त राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी।”

3. मूल नियम की दूसरी अनुसूची में,

(क) प्रपत्रों की सूची शीर्षक के तहत प्रविष्टि 31 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतर्विष्ट की जाएंगी अर्थात:-

“32	धारा 124क, नियम 107 ख	धारा 120, 122 और 123 से संबंधित उल्लंघन के मामले में शिकायत
33	धारा 124ख, नियम 107 घ	न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील।

(ख) प्रपत्र 31 के पश्चात निम्नलिखित प्रपत्रों को अंतर्विष्ट किया जाएगा अर्थात:-

“प्रपत्र 32 धारा 120, 122 और 123 के उल्लंघन के मामले में शिकायत [धारा 124क, नियम, 107 (ख) देखें]	
1.	शिकायतकर्ता का विवरण (अनिवार्य): - क. नाम: ख. तामील (सर्विस) के लिए पता: ग. संपर्क सूत्र: घ. ई-मेल (सर्विस के लिए):
2.	शिकायत का विवरण: - क. कथित उल्लंघन या चूक के होने की तिथि, समय और घटना: ख. सभी संगत तथा मुख्य विवरण प्रदान करते हुए उल्लंघन या चूक का विवरण: ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य: घ. क्षतिपूर्ति (मौद्रिक रुप में) की अनुमानित राशि तय लागत विवरण
मैं/हम....., शिकायतकर्ता यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।	
3.	शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर: हस्ताक्षर.....
4.	उस वास्तविक व्यक्ति का नाम, जिसने हस्ताक्षर किए हैं: (.....)
सेवा में, न्यायनिर्णयन अधिकारी पेटेंट कार्यालय 	
नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।	

“प्रपत्र-33 न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील [धारा 124ख, नियम 107घ देखें]		
1.	अपीलकर्ता का विवरण (अनिवार्य):- क. नाम: ख. तामील (सर्विस) के लिए पता: ग. संपर्क सूत्र: घ. ईमेल (सर्विस के लिए)	
2.	न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा पारित उस आदेश का विवरण, जिसके विरुद्ध अपील की गई है:- क. मामला संख्या ख. आदेश की तारीख ग. विवरण के समर्थन में साक्ष्य	
मैं/हम....., अपीलकर्ता यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहां उल्लिखित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।		
3.	अपीलकर्ता के हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर
4.	उस वास्तविक व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं:	(.....)
		सेवा में, अपीलीय प्राधिकारी, पेटेंट कार्यालय,
नोट - जो लागू न हो उसे काट दें।		

[फा. सं. पी-24031/13/2020-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 2 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 493(अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और इनमें पिछला संशोधन दिनांक 16 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 215 (अ) के माध्यम से किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2025

G.S.R. 865(E).— WHEREAS the draft of certain rules further to amend the Patents Rules, 2003 was published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade number G.S.R. 475(E), dated the 16th of July, 2025 in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS copies of the said Gazette were made available to the public on the 16th of July, 2025;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patent Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patent Rules, 2003, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Patent Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), for Chapter XIV A, the following chapter shall be substituted, namely: -

‘CHAPTER XIV-A

ADJUDICATION OF PENALTIES AND APPEALS

107A. Definitions. - In this chapter, unless the context otherwise requires, -

(a) "adjudicating officer" means an officer authorised under section 124A of the Act;

(b) "appellant" means a person aggrieved by an order of the adjudicating officer and who prefers an appeal before the appellate authority under sub-section (1) of section 124B of the Act.

(c) "appellate authority" means an officer authorised under sub-section (1) of section 124 B of the Act;’.

107 B. Complaint. — Any person may, in respect of any contravention committed under sections 120, 122, or 123 of the Act, file a complaint in Form 32 through electronic means before the adjudicating officer.

107 C. Holding of inquiry. - (1) For adjudication under section 124A of the Act, where the adjudicating officer has reason to believe that any person has committed a contravention specified therein, shall issue a notice to such person through electronic means, requiring him to show cause, within such period as may be specified in the notice, minimum of not less than seven days from the date of service thereof, as to why an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall specify the nature of contravention alleged to have been committed.

(3) Where, after considering the cause, if any, shown by the person referred to in sub-rule (1), the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, shall issue a notice requiring the appearance of such person, either personally or through a legal practitioner, on such date as may be specified in the notice.

(4) On the date fixed for inquiry, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against, the nature of the contravention alleged to have been committed by such person and the relevant provisions of the Act in respect thereof.

(5) The adjudicating officer shall after giving the person referred to in sub-rule (3), reasonable opportunity of being heard and produce such documents or evidence as may be considered relevant to the inquiry and where necessary, the hearing may be adjourned to a future date.

(6) While holding an inquiry under this rule, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(7) Where any person fails, neglects, or refuses to appear before the adjudicating officer as required under this rule, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person, after recording the reasons for doing so.

(8) Where, upon consideration of the evidence produced before him, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers appropriate.

(9) Every order made under this rule shall specify the provisions of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.

(10) A copy of the order made under this rule, along with other copies of proceedings, shall be supplied free of cost to the person against whom the order is made.

(11) The adjudicating officer shall complete the inquiry and pass an order under this rule within a period of three months from the date of issuance of the notice under sub-rule (3).

(12) The adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

107 D. Appeal. - (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under rule 107 C may prefer an appeal in Form 33, through electronic means to the appellate authority within sixty days from the date of the receipt of the order:

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within such period.

(2) Upon receipt of the appeal, the appellate authority shall issue a notice to the respondent requiring him to file a reply within such period as may be specified in the notice.

(3) The appellate authority shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, pass a reasoned order, which may include an order for adjournment, and shall ordinarily complete the proceedings within a period of six months from the date of receipt of the appeal.

107E. Service of communications. - All communications under this chapter shall be effected through electronic means only.

107F. Extension of time. - The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, extend any period specified in this chapter to such further period as may be deemed appropriate, with or without costs.

107G. Order and penalties. - (1) Every order made under this chapter shall bear the date, be digitally signed, communicated to all parties concerned, and uploaded on the official website.

(2) All sums realised by way of penalties under this chapter shall be credited to the Consolidated Fund of India.’

3. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE. -

(a) under the heading LIST OF FORMS, after entry 31, the following entries shall be inserted, namely: -

“32.	Section 124A, and rule 107B	Complaint for contravention under sections 120, 122 and 123 of the Act.
33.	Section 124B, and rule 107D	Appeal against an order of the adjudicating officer.”;

(b) after FORM 31, the following FORMS shall be inserted, namely: -

“FORM 32 COMPLAINT FOR CONTRAVENTION OF SECTIONS 120, 122 and 123 [See section 124A; rule 107B]	
1. Particulars of Complainant (mandatory): -	
a. Name:	
b. Address for service:	
c. Contact No.:	
d. Email (for service):	
2. Details of Complaint: -	
a. Date, time, and instance of commission of the alleged contravention or default:	
b. Statement of contravention or default setting out all relevant material particulars:	
c. Evidence in support of the statement:	
d. Tentative amount of damage (in Monetary terms) with cost break-up:	
I/We, the Complainant herein, declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.	

3. Signature of the Complainant:	Signature.....
4. Name of the natural person who has signed:	(.....)
	To, The Adjudicating Officer, The Patent Office, at
Note. -Strike out whichever is not applicable.	

FORM 33 APPEAL AGAINST AN ORDER PASSED BY THE ADJUDICATING OFFICER [See section 124B; rule 107D]	
1. Particulars of Appellant (mandatory): - a. Name: b. Address for service: c. Contact No.: d. Email (for service):	
2. Particulars of Order passed by the adjudicating officer against which the appeal is preferred: -	
a. Case No:	
b. Date of Order:	
c. Evidence in support of the statement:	
I/We, the Appellant herein, declare that the facts stated herein are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.	
3. Signature of the Appellant:	Signature.....
4. Name of the natural person who has signed:	(.....)
	To, The Appellate Authority, The Patent Office, at
Note. -Strike out whichever is not applicable.”.	

[F. No. P-24031/13/2020-IPR-III]

HIMANI PANDE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 493 (E), dated the 2nd May, 2003 and lastly amended vide number G.S.R. 215(E), dated the 16th March, 2024.